संख्या:-781 /ग्यारह-2-2017-9(15)/17

प्रेषक,

पंकज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनॉक: 21 जून, 2017**

महोदय,

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की हिन्दी तथा अंग्रेजी की एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया इसे दिनांक 21 जून, 2017 के असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए इनकी 4000 प्रतियॉ मुद्रित करते हुए 3000 प्रतियां कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को एवं 1000 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

क्र0	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	संख्या-क0नि0-2-751/ग्यारह- 9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(01)-2017 दिनांक 21 जून, 2017
2	संख्या-क0नि0-2-752/ग्यारह- 9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(02)-2017 दिनांक 21 जून, 2017
3	संख्या-क0नि0-2-753/ग्यारह- 9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(03)-2017 दिनांक 21 जून, 2017

2- उपरोक्त अधिसूचनायें असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित की जायेंगी। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचनायें सदन के पटल पर रखी जानी है, अतः मुद्रित प्रतियां शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

J.C. (G.S.T./I.T.)

एडी० कमि० (GST)

भवदीय,

(पंकज कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-781 (1)/ ग्यारह-2-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मय संलग्नक निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ (प्रचार-प्रसार हेतु)।
3- विधायी विभाग (अनुभाग-1), उ0प्र0 शासन।

1199
21-6-17

आज्ञा से,

(पंकज कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-751/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(01)-2017

लखनऊः दिनांकः 21 जून, 2017

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 22 जून, 2017 को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 और 164 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

FROM : FAX NO. :0522 2239076 21 Jun. 2017 18:13 P 002

Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitta, Kar Evam Nibandhan Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no KA.NI.-2-751 /XI-9(15)/ 17- U.P. Act-1-2017-Order- (01) -2017 dated June 21 , 2017:-

NOTIFICATION

KA.NI.-2-751/XI-9(15)/ 17 - U.P. Act-1-2017-Order-(01)-2017
Lucknow: Dated: June 21 , 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P Act no. 1 of 2017), the Governer is pleased to appoint the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

By Order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Apar Mukhya Sachiv

FROM : FAX NO. :0522 2239076 21 Jun. 2017 18:13 P 003

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-752/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(02)-2017

लखनऊ: दिनांकः 21 जून, 2017

<u>अधिसूचना</u>

उत्तरप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की संस्तुति पर रजिस्ट्रीकरण, कर-संदाय, विवरणी प्रस्तुतिकरण, एकीकृत कर संगणना तथा व्यवस्थापन और इलैक्ट्रोनिक वे बिल को सुकर बनाने के लिये सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में www.gst.gov.in को अधिसूचित करते है ।

<u>स्पष्टीकरण</u> – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाइट अभिप्रेत है ।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

FROM : FAX NO. :0522 2239076 21 Jun. 2017 18:13 P 004

Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitta, Kar Evam Nibandhan Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no KA.NI.-2-752/XI-9(15)/ 17- U.P. Act-1-2017-Order-(02) -2017 dated June 21 , 2017:-

NOTIFICATION

KA.NI.-2-752/XI-9(15)/ 17 - U.P. Act-1-2017-Order-(02)-2017
Lucknow: Dated: June 21 , 2017

In exercise of the powers conferred by section 146 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P Act no. 1 of 2017), the Governer on the recommendation of the council is pleased to notify www.gst.gov.in as the Common Goods and Service Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation:- For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

By Order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Apar Mukhya Sachiv

FROM : FAX NO. :0522 2239076 21 Jun. 2017 18:13 P 005

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-753/ग्यारह-9(15)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(03)-2017

लखनऊः दिनांकः 21 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तरप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की संस्तुति पर उन व्यक्तियों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर का संदाय, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किए जाने का दायित्व हो, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करते है, जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त हो ।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

FROM : FAX NO. :0522 2239076 21 Jun. 2017 18:14 P 006

Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitta, Kar Evam Nibandhan Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no KA.NI.-2-753/XI-9(15)/ 17- U.P. Act-1-2017-Order-(03) -2017 dated June 21 , 2017:-

NOTIFICATION

KA.NI.-2-753/XI-9(15)/ 17 - U.P. Act-1-2017-Order-(03)-2017
Lucknow: Dated: June 21 , 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P Act no. 1 of 2017), the Governer on the recommendation of the council is pleased to specify the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

By Order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Apar Mukhya Sachiv

21 Jun. 2017 18:14 P 007 FAX NO. :0522 2239076 FROM :